न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/116/25	2025/132	09.04.2025	17.04.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. शीशराम पुत्र हरिराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर तहसील अलवर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—ःनिर्णयः—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रामनगर तहसील व जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 129 रकबा 0.30 है0, 170 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 0.65 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तामील कुलिंदा द्वारा तामील में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी शीशराम पुत्र हरिराम गुर्जर नि0 रामनगर मौके पर मौजूद मिले, लेकिन तामील लेने हेतु इन्कार किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न0 129 रकबा 0.30 है0, 170 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 0.65 है0 भूमि दिनांक 08.04.2022 को अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिये आवंटन किया गया था जिस आधार पर नामा० दर्ज हो कर जमाबंदी में अमल हो चुका है। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पूर्णतया पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है जो कि एक गंभीर त्रुटि है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आवंटन राजस्व ग्राम रामनगर तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) महोदय अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ है। प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवंटन दिनांक 08.04.2022 के द्वारा अप्रार्थीगण को किया गया आराजी हाल खसरा न0 129 रकबा 0.30 है0, 170 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम रामनगर का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज। उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 08.04.2022

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

के द्वारा जारी आवंटन आदेश (नियम–15) से अप्रार्थी शीशराम पुत्र हरिराम गुर्जर सा. रामनगर को हाल खसरा न0 129 रकबा 0.30 है0, 170 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 0.65 है0 भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन/नियमन की प्रक्रिया में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन नियम), 1970 में वर्णित नियमों की पालना नहीं की गई है एवं तथ्यों को छुपाया गया है, तथा आवंटन/नियमन सरिस्का वन क्षेत्र के बफर जोन अर्थात् प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम विरूद्ध किया गया है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम रामनगर तहसील अलवर में किये गये है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। बफर क्षेत्र घोषित होने पर राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के भाग 4 के अनुसार इन नियमों के अधीन आवंटन या नियमन नहीं किया जा सकता है, जिसे श्रीमान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भी पुष्ट किया गया है। नियम 7 के तहत प्रारूप 2 में जारी उद्घोषणा में आवंटित आराजी खसरा नंबर 129 व 170 को शामिल नहीं किया गया तथा आवंटी/अप्रार्थी शीशराम सरपंच के सगे समधी है। अतः नियम 13(7) परन्तुक की पालना नहीं हुई है। प्रार्थी के अनुसार प्रकरण प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों में आती है जिसे दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 08.04.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अप्रार्थी शीशराम पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी रामनगर तहसील व जिला अलवर को हाल आराजी खसरा न0 129 रकबा 0.30 है0, 170 रकबा 0.35 है0 किता 2 रकबा 0.65 है0 भूमि का किया गया आवंटन आदेश दिनांक 08.04.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)